



स्थापना वर्ष 1963

कंस्तूरबागांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट द्वारा संचालित

कस्तूरबाग्राम रूरल इंस्टीट्यूट

कस्तूरबाग्राम, इंदौर (म.प्र.) - 452020

स्वशासी कन्या महाविद्यालय देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से संबद्ध



क्रमांक: क.रु.ई./२०२५०७ ६६८

दिनांक: १९/१२/२०२५

छात्र शिकायत निवारण समिति – वर्ष 2024–2026

STUDENT GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEE (SGRC)

महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायत का निवारण) विनियम 2023 के परिपालन में छात्र शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है :

क.	अध्यक्ष	डॉ. इंदुबाला मालवीय	सहायक प्राध्यापक, हिन्दी
ख.	सदस्य	डॉ. शैलबाला गांधी	वरिष्ठ संकाय सदस्य
	सदस्य	डॉ. विजय सोलंकी	वरिष्ठ संकाय सदस्य
	सदस्य	डॉ. गायत्री पटेल	वरिष्ठ संकाय सदस्य
	सदस्य	श्रीमती प्रीति शर्मा	वरिष्ठ संकाय सदस्य
ग.	विशेष आमंत्रित सदस्य	कु. पूजा पंवार	छात्र प्रतिनिधि

शर्ते—

- अध्यक्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछळा वर्ग से होना चाहिए।
- कार्यअवधि—

- अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- विशेष आमंत्रित सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष की अवधि के लिए होगा।

गणपूर्ति—

- बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित लेकिन विशेष आमंत्रित व्यक्ति को छोड़कर तीन का होगा।
- कार्यविधि—

- छात्र शिकायत निवारण समिति अपने समक्ष आने वाली शिकायतों पर विचार करते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगा।
- समिति अपनी रिपोर्ट सिफारिशों के साथ, यदि कोई हो, संबंधित संस्था के सक्षम प्राधिकारी का भेजेगा आर उसकी एक प्रति पीड़ित छात्र को, अधिमानतः शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 15 कार्य दिवसों की अवधि के अंदर भेजेगा।
- छात्र शिकायत निवारण समिति के निर्णय से पीड़ित कोई भी छात्रा इस प्रकार के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर लोकपाल (विश्वविद्यालय) के समक्ष अपील कर सकता है।

प्राप्ति

कस्तूरबाग्राम रूरल इंस्टीट्यूट
(स्वशासी संस्थान)

जू.एन.एम द्रस्ट कस्तूरबाग्राम
इंदौर - 452 020